



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41996-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19802 वर्ष 2025

श्रीमती गीता चौरसिया

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मानवेंद्र दीक्षित, निशा दीक्षित

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : एस.पी. सिंह (ए.एस.जी.आई.), आशीष कुमार

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र दीक्षित और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार को सुना गया।
2. यह याचिका दिनांक 28.08.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन ('ओए') संख्या 1579 वर्ष 2015 को खारिज कर दिया है और उसमें मांगे गए उपचारों से इनकार कर दिया है। मूल आवेदन प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 और 06.11.2015 को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जिसका परिणाम याचिकाकर्ता के वेतन से राशियों की वसूली/कटौती के रूप में था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण को उसके वेतन से काटी गई राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देने हेतु आगे की राहत मांगी गई थी।
3. याचिकाकर्ता, जो भारतीय रेलवे कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, वाराणसी (संस्थान) में मुख्य मेट्रन के रूप में कार्यरत थीं, 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुईं। उससे एक वर्ष पूर्व, संस्थान में चादरों की कमी के आरोप में उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी और 15.10.2015 को उनके वेतन से मासिक किस्तों में 1,15,455/- रुपये की कटौती का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात, पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 15.10.2015 में संशोधन करते हुए 06.11.2015 को एक अन्य आदेश पारित किया गया और उनके वेतन से 51,955/- रुपये की राशि काटने का आदेश दिया गया।
4. उपरोक्त आदेशों को अधिकरण के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता को न तो इस मामले में कोई आरोप पत्र दिया गया था और न ही उनके विरुद्ध कोई औपचारिक जांच की गई थी और इसलिए, आक्षेपित कार्यवाही और आदेश रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1968 (नियमावली, 1968) के प्रावधानों के विपरीत होने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित होने के कारण बरकरार रखने के अयोग्य और रद्द किए जाने योग्य थे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

5. प्रत्यर्थागण द्वारा मूल आवेदन का विरोध करते हुए यह रुख अपनाया गया कि रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 01.09.2015 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, लिनन की हानि के मामले में, अंतिम खरीद दर के 75% पर वसूली की जानी होती है, संस्थान में किए गए ऑडिट और सतर्कता जांच में 387 चादरों की कमी पाई गई थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी ठहराया गया था। प्रति-शपथ पत्र में आगे कहा गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही आसान किस्तों में याचिकाकर्ता के वेतन से निश्चित राशि की वसूली का आदेश दिया गया था।

6. अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वसूली कोई दंड नहीं थी, बल्कि रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 01.09.2015 के तहत सरकारी धन की वसूली के लिए एक नियमित कदम था और चूंकि विभाग ने नियमों का पालन किया था, इसलिए औपचारिक अनुशासनात्मक जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकरण ने याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस और उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर का भी उल्लेख किया और यह देखते हुए मूल आवेदन को खारिज कर दिया कि बाद के आदेश दिनांक 06.11.2015 द्वारा प्रारंभिक आदेश दिनांक 15.10.2015 में किया गया संशोधन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर, सतर्कता टीम की रिपोर्ट और आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर विचार करने पर आधारित था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि न तो याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिया गया और न ही उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या पूर्ण जांच की गई, इसलिए वसूली नियमावली, 1968 के विपरीत है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थागण स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर प्रारंभिक आदेश दिनांक 15.10.2015 को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं थे और किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं किया गया।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड की प्रकृति नियमावली, 1968 के नियम 6(iii) के अनुसार लघु दंड थी। चूंकि उसे नोटिस जारी किया गया था और प्रत्यर्थागण को उसका उत्तर प्राप्त हुआ था, इसलिए कोई नियमित जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह कहा गया कि 06.11.2015 को दो आदेश पारित किए गए थे, एक याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने वाला और दूसरा केवल वेतन से वसूली/समायोजन का निर्देश देने वाला परिणामी आदेश, चूंकि 06.11.2015 के पहले (मूल) आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए परिणामी आदेश को दी गई चुनौती पोषणीय नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 15.10.2015 को कभी लागू नहीं किया गया था और केवल बाद के संशोधित आदेश दिनांक 06.11.2015 को ही वसूली के रूप में लागू किया गया था, इसलिए पिछले आदेश को दी गई चुनौती का कोई परिणाम नहीं था।

9. उपरोक्त के उत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अक्टूबर 2015 के वेतन-पर्ची की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उनके वेतन से 14,432/- रुपये की कटौती दर्शाई गई है और यह दलील दी गई कि उक्त कटौती पहले आदेश दिनांक 15.10.2015 में दिए गए निर्देशों पर आधारित थी, इसलिए प्रत्यर्थागण द्वारा दी गई विपरीत दलीलें तथ्यात्मक स्थिति के विरुद्ध हैं।

10. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

11. जब सुनवाई की पहली तिथि, अर्थात् 07.01.2026 को पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए थे, तब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:—

"1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1968 ('नियमावली, 1968') में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की गई थी।

2. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपित दंड की प्रकृति नियमावली, 1968 के नियम 6(iii) के तहत एक लघु दंड है और इसलिए, यह तथ्य कि चूंकि नोटिस जारी किया गया था और उत्तर प्राप्त हुआ था, कोई नियमित जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, हमें रिकॉर्ड से नियमावली, 1968 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार कोई नोटिस जारी किया जाना नहीं मिला है।

3. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता नियमावली, 1968 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुपालन को दर्शाने वाली सामग्री रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगते हैं।

4. अगली तिथि से पहले आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

5. याचिका को 10.02.2026 को नये मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।"

12. आज, जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार ने यह दलील दी कि वे पिछले आदेश के तहत निर्देशित कोई और सामग्री अभिलेख पर नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि नियम 11 के उचित अनुपालन को दर्शाने वाली पूरी सामग्री पहले से ही रिट याचिका के रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसलिए, न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की।

13. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया दंड नियम 6(iii) के अंतर्गत आने वाला एक लघु दंड है, जो लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण कर्मचारी द्वारा सरकार या रेलवे प्रशासन को हुई किसी भी वित्तीय हानि के पूर्ण या आंशिक हिस्से की वेतन से वसूली का प्रावधान करता है। इसलिए, यह देखना होगा कि क्या नियम 11 के तहत परिकल्पित लघु दंड लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का प्रत्यर्थीगण द्वारा पालन किया गया है। संदर्भ के लिए, नियम 11, जहाँ तक वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, नीचे उद्धृत किया गया है:—

"11. लघु दंड लगाने की प्रक्रिया- (1) नियम 9 के उप-नियम (9) के खंड (क) के उप-खंड (iv) और नियम 10 के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अधीन, नियम 6 के खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को रेलवे सेवक पर लगाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि -

(क) रेलवे सेवक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव और कदाचार या दुर्व्यवहार के उन आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित न कर दिया जाए, जिनके आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है, और उसे उस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई भी प्रतिवेदन देने का उचित अवसर न दिया जाए जो वह देना चाहता हो;

(ख) प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है, नियम 9 के उप-नियम (6) से (25) में निर्धारित तरीके से जांच न कर ली जाए;

(ग) खंड (क) के तहत रेलवे सेवक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, यदि कोई हो, और खंड (ख) के तहत की गई जांच के अभिलेख, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए;

(घ) कदाचार या दुर्व्यवहार के प्रत्येक आरोप पर एक निष्कर्ष दर्ज न कर लिया जाए; और

(ङ) जहाँ आयोग से परामर्श आवश्यक हो, वहाँ परामर्श न कर लिया जाए।



....."

14. नियम 11 के उप-नियम (1) के खंड (क) के परिशीलन से स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि नियम 6 के खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी भी लघु दंड को लगाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि रेलवे सेवक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव और कदाचार या दुर्यवहार के उन आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित न कर दिया जाए, जिनके आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित है, और उसे उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर न दिया जाए।

15. चूंकि प्रत्यर्थीगण की ओर से 10.01.2015 और 23.01.2015 के नोटिसों/पत्रों का संदर्भ देते हुए उन्हें नियम 11 का उचित अनुपालन बताया गया है, अतः संदर्भ के लिए पहले नोटिस दिनांक 10.01.2015 को नीचे उद्धृत किया गया है:—

"पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

मुख्य मैट्रन

कैंसर संस्थान वाराणसी

दिनांक-10-1-15

सं०-2015/मेड/536/1/लिनेन

श्रीमती गीता चौरसिया मुख्य मैट्रन

कैंसर संस्थान/वाराणसी

विषय- वेड शीट (चादर) के सम्बन्ध में।

आपके स्टोर में एक कमेटी द्वारा दिनांक-13-10-14 को आपके लेजर की जांच की गई, जांच में वेड शीट की जांच करने पर पाया गया कि आपके लेजर में 914 बेड शीट अंकित है, जिसमें से आप द्वारा केवल 201 बेड शीट का ही लेखा-जोखा प्राप्त हुआ है। बाकी 713 बेड शीट का लेखा, जोखा प्राप्त नहीं हुआ है। कमेटी द्वारा किये गये सर्वे की प्रति सलंगन है।

अतः आप पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर टोटल 914 बेड शीट का लेखा-जोखा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

ह०अ०

सहायक नर्सिंग अधिकारी

कैंसर संस्थान/वाराणसी

प्रतिलिपि-डा० आरती दिव्या/ व विधि/कैंसर संस्थान वाराणसी सूचनार्थ प्रेषित।

ह०अ०

सहायक नर्सिंग अधिकारी

कैंसर संस्थान/वाराणसी"

16. दिनांक 10.01.2015 के नोटिस के परिशीलन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को तीन दिन की अवधि के भीतर 914 चादरों का विवरण/लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई थी (अतः आप पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर टोटल 914 बेड शीट का लेखा-जोखा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।)। यह नोटिस यह संकेत नहीं देता है कि याचिकाकर्ता के कथित कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित थी, और न ही यह नोटिस प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन देने हेतु उचित अवसर प्रदान करने पर विचार करता है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने 13.01.2015 को समय पर नोटिस का उत्तर दिया, जिसके बाद प्रत्यर्थागण ने दिनांक 23.01.2015 का निम्नलिखित पत्र जारी किया:—

"पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

चिकित्सा निदेशक

कैंसर संस्थान/वाराणसी

दिनांक-23.01.2015

सं0-14/मैंड/0170

सेवा में,

श्रीमती गीता चौरसिया

मुख्य मैट्रन/कैं०सं०/वाराणसी

विषय:- लिनेन/बेडशीट की कमी के संबंध में।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक-13.01.2015

चिकित्सा निदेशक/कैं० सं० द्वारा गठित कमेटी द्वारा आपके वार्ड के बेडशीट की गिनती करने पर यह पाया गया कि आपके वार्ड में बेडशीट कम थे जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए आपको पत्र सं0-15/मैंड/536/1/0042, दिनांक-13.10.14 एवं 12.1.15 को पत्र दिया गया था, जिसके संदर्भ में आपने अपना पत्र दिनांक-13.1.2015 में उल्लेख किया है कि अचानक बीमार होने के कारण आप इपूटो नहीं कर पायी इसलिए वार्ड की चाभियाँ अगले स्टाफ को देना पड़ा तथा आपके पत्र के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं-

1. जब आप ठीक होकर कार्य पर वापस आयीं और पुनः चार्ज लेने के बाद आपने अपना स्टॉक जाँच करके प्रशासन को लिखित रूप से क्यों नहीं अवगत कराया कि आपके स्टॉक में बेडशीट की कमियाँ हैं, जिससे प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही की जा सकती थी।

2. गंदे एवं खून तथा उल्टी से सने कपड़े जब आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी नहीं हटाना चाहते हैं, तो आपने उन कर्मचारियों के बारे में लिखित शिकायत क्यों नहीं की जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कैं०सं० के सभी वार्ड इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया है कि आपके वार्ड का अगर कोई कर्मचारी अपना कार्य करने से मना करता है, तो तुरन्त आप उसकी लिखित शिकायत अधोहस्ताक्षरी से करें।

3. आपने प्रशासन को लिखित रूप से यह सूचना नहीं दी कि आप इंचार्जशिप करने के योग्य नहीं हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आपने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि आप बीमारी के उपरान्त ठीक होकर कार्य ग्रहण करने के बाद कोई लिखित सूचना देने के लायक नहीं थीं, जो कि असत्य है, क्योंकि आपने समय-समय पर अनावश्यक बातों हेतु पत्राचार भी किया।

6. यदि, आपकी मानसिक स्थिति बोलने एवं चलने की स्थिति ठीक नहीं है तब आपको और इलाज की जरूरत प्रतीत होती है। इस प्रकार की स्थिति में आप अपना इलाज न कराकर मरीजों के साथ कार्य कैसे कर सकती हैं।

7. आप वार्ड की मैट्रन इंचार्ज हैं और यदि आपके वार्ड में कार्यरत तीनों शिफ्ट के कर्मचारी अपने चार्ज का लेन-देन नहीं करती हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सुचारू एवं प्रशासनिक तरीके से कार्य लें यदि यह सम्भव नहीं हो पा रहा था, तो आपने इसकी लिखित सूचना अपने अधिकारियों को देना चाहिए था।

आपके पूर्व के कथनों से यह प्रतीत होता है कि आप अपने पद को गंभीरता एवं जिम्मेदारियों को नहीं समझती हैं या आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहती हैं। आपके इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से किए गए कार्यों से कार्य में बाधा उत्पन्न होने के साथ-साथ रेल राजस्व की क्षति भी हुई है।

अतः आपको यह ज्ञात कराया जाता है कि आपके चार्ज में दिए गए लिनेन की कमियों की प्रतिपूर्ति आपसे करवाने हेतु प्रशासन को बाध्य होना पड़ेगा।

ह०अ०

सहायक नर्सिंग अधिकारी

कैंसर संस्थान/वाराणसी"

17. दिनांक 23.01.2015 के पत्र/संचार के पारिशीलन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 13.01.2015 पर विचार करने के बाद, प्रत्यर्थीगण द्वारा यह दर्शाया गया था कि उनके कृत्य के कारण रेलवे को वित्तीय हानि हुई है और इसलिए, उन्हें सूचित/अवगत कराया गया था (आपको यह ज्ञात कराया जाता है) कि प्रशासन लिनेन की कमी के कारण हुए नुकसान की वसूली करने के लिए बाध्य होगा (कि आपके चार्ज में दिए गए लिनेन की कमियों की प्रतिपूर्ति आपसे करवाने हेतु प्रशासन को बाध्य होना पड़ेगा)।

18. चूंकि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि ये दो संचार दिनांक 10.01.2015 और 23.01.2015 नियम 11(1)(क) की वैधानिक आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन थे, इसलिए न्यायालय मानक प्रपत्र संख्या-11 को उद्धृत करना उचित समझता है जो नियम 11 के तहत लघु दंड लगाने के लिए है। बहस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उक्त प्रपत्र का विशिष्ट संदर्भ दिया गया था और उसे नीचे उद्धृत किया गया है:—

"मानक प्रपत्र संख्या-11

लघु दंड लगाने के लिए आरोप के ज्ञापन का मानक प्रपत्र

(आरएस(डी एंड ए) नियमावली, 1968 का नियम 11)

संख्या

(रेलवे प्रशासन का नाम)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

.....

(जारी करने का स्थान) दिनांक

ज्ञापन

1. श्री (नाम, पदनाम और कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उनके विरुद्ध रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1968 के नियम 11 के तहत कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है। कदाचार या दुर्यवहार के उन आरोपों का विवरण, जिन पर ऊपर बताए अनुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, संलग्न है।

2. श्री को एतद्वारा ऐसा प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जाता है जैसा कि वे प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहें। प्रतिवेदन, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि इस ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर पहुँच जाए।

3. यदि श्री पैरा 2 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई प्रतिवेदन नहीं है और श्री के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने योग्य होंगे।

4. श्री द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की पावती दी जानी चाहिए।

हस्ताक्षर

पदनाम"

19. न्यायालय की राय में, मानक प्रपत्र-11 एक वैधानिक आवश्यकता है और यदि विभाग नियम 6 के खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी भी लघु दंड को लगाने का प्रस्ताव करता है, तो नोटिस इसी प्रपत्र में होना चाहिए या कम से कम इसकी सभी आवश्यकताओं को मूल रूप से पूरा किया जाना चाहिए। कोई भी संचार जो ऊपर बताई गई वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, उसे नियम 11(1)(क) के प्रावधानों का उचित अनुपालन नहीं माना जा सकता है।

20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थीगण नियमावली 1968 के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता पर लगाया गया परिणामी लघु दंड बरकरार रखने योग्य नहीं पाया गया है।

21. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि 06.11.2015 के पहले आदेश को चुनौती न दिए जाने के कारण परिणामी आदेश को दी गई चुनौती पोषणीय नहीं थी, हमारा मानना है कि चूंकि याचिकाकर्ता के वेतन से किस्तों में 1,15,455/- रुपये की वसूली का निर्देश देने वाले आदेश दिनांक 15.10.2015 और संशोधित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें राशि बदली गई थी, द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई है जब मूल आवेदन/ओए में ब्याज सहित काटी गई राशि की प्रतिपूर्ति के आलोक में जांच की गई, तो हमें नहीं लगता कि उसी दिन यानी 06.11.2015 को पारित एक अन्य आदेश को चुनौती देने में मात्र चूक याचिकाकर्ता के मामले के लिए घातक होगी। रिट न्यायालय द्वारा चुनौती का परीक्षण समग्र रूप से किया जाना चाहिए और एक बार जब यह पाया जाता है कि दंड लगाने में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियमावली 1968 के विरुद्ध थी, तो हमारा मानना है कि सामान्य विशेषताओं और प्रकृति वाला प्रत्येक आदेश जो याचिकाकर्ता के हितों के प्रतिकूल है और जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसके वेतन से वसूली/कटौती हुई है, रद्द किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22. जहाँ तक आदेश दिनांक 15.10.2015 के कथित गैर-कार्यान्वयन का प्रश्न है, हम पाते हैं कि जब अक्टूबर, 2015 के महीने के लिए याचिकाकर्ता के वेतन से 14,432/- रुपये काटे गए थे, तब तक बाद वाला आदेश दिनांक 06.11.2015 अस्तित्व में नहीं आया था और इसलिए, यह दलील कि आदेश दिनांक 15.10.2015 को प्रभावी नहीं किया गया था, अभिलेख के विपरीत पाई गई है।

23. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अधिकरण द्वारा इस आधार पर मूल आवेदन को खारिज करना कि वसूली परिपत्र दिनांक 01.09.2015 के तहत एक नियमित कदम था और यह कार्यवाही दंड नहीं थी बल्कि संस्थान में किए गए ऑडिट और सतर्कता जांच पर आधारित थी, पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए, वह आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

24. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

25. अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2025 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

26. मूल आवेदन स्वीकार किया जाता है; उसमें आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश दिनांक 15.10.2015 और 06.11.2015 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के वेतन से काटी गई राशियों को वसूली/कटौती की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें। निर्देशित भुगतान याचिकाकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"